

22⁰⁶
2024

पत्रावली पेश हुआ। वकील कादी उपस्थित।
प्रतिवादी व वकील प्रतिवादी अनुपस्थित।
वकील कादी को सुना गया एक पत्रावली
व प्राथमिक निर्णय, डिफेंड, विभाजन प्रस्ताव
का अवलोकन किया गया। प्राथमिक डिफेंड
12/6/15 की अनुपालना में तहसीलदार नीम-
काधाना द्वारा यह कारण। खातेदारान के
महम मां का कब्जा अनुसार विभाजन प्रस्ताव
तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया है जिसके
वकील कादी भी सहमत है एक प्रतिवादीगण
की ओर से भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं
हुई है अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा
कादी अन्तिम रूपसे किया जाना उचित
समझते हैं

- लगातार -

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दादा
 दादी मुताबिक विभाजन पुस्तक अभिलेख
 रूप से डिक्री किया जाकर दादी व प्रतिवादी
 गण को पृथक-पृथक काबिजा द्वातेदार
 काश्त कार घोषित किया जाता है विभाजन
 पुस्तक मम नम्बरा डिक्री का भाग समझा
 जावे। तक्रानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल
 दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुतीव हो। पत्रा-
 कली फैसल नुमार होकर नम्बरा से कम
 होकर दफ्तर दाखिल हो।

मिर्गम सरे इजलाल सुनामागमा।



(विजेण कुषार)

सहायक कलेक्टर (F.T)
 भीमकाण्ड राज

